

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 64/22 (र. वा. 5) शीर्षक कुमला केशव वनाम अतः केशव

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
08/09/25	<p>पत्रावली पेशद्वारा अधिवक्ता वाडी 34 (पिन) उदाल में लक्ष्मीलाल, देवगढ़ के विभाजन अन्तर्गत पट अधिवक्ता वाडी के सहमति जाहिलगी। अतः वाडी का वाड अन्तर्गत धाल 53 राजस्थान नाश्तकाटी अधिनियम का खतीनाल किया जाता है। निर्दिष्ट पृथक में लिख्य जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के शर्त शुरुआत है, नम्बर ले कम ही जाये।</p>	

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द